न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 15/2022/अपील

उनवान

1. रामप्रसाद पि. प्रभूलाल जाति नाई नि. बानोर तहसील रायपुर

—— अपीलांटस

बनाम

1. मंजूबाई पत्नि शिवलाल जाति नाई नि. बानोर तहसील रायपुर
2. धापूबाई पुत्री प्रभूलाल जाति नाई नि. बानोर तहसील रायपुर
3. नन्दलाल पि. प्रभूलाल जाति नाई नि. बानोर तहसील रायपुर
4. मोहनलाल पि. प्रभूलाल जाति नाई नि. बानोर तहसील रायपुर
5. सरपंच ग्राम पंचायत बानोर पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल

—— रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 15.03.2022 नामा.सं. 2224

ग्राम पंचायत बानोर

उपस्थिति – वकील अपीलांटस – श्री नीलकमल त्रिवेदी

आदेश **दिनांक :** 24/01/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत उन्हेल द्वारा निर्णित नामा.सं. 2224 दिनांक 15.03.2022 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बानोर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 182 की आराजी ख.नं. 1717/295 रकबा 0.2276 हेक्टर , ख.नं. 1718/288 रकबा 0.2529 हेक्टर , ख.नं. 291 रकबा 0.2909 , ख.नं. 1716/290 रकबा 0.1770 हेक्टर ख.नं. 1715/136 रकबा 0.6829 हेक्टर कुल किता 5 रकबा 1.6313 हेक्टर भूमि अपीलांटस के शामलाती खातेदारी में दर्ज रही है जिसमें अपीलांटस का 1/4 हिस्सा निहित है। अपीलांटस ने उक्त वादग्रस्त आराजी में से ख.नं. 1717/295 रकबा 0.2276 हेक्टर , ख.नं. 1718/288 रकबा 0.2529 हेक्टर , ख.नं. 291 रकबा 0.2909 हेक्टर भूमि में से अपना 1/4 हिस्सा एवं ख.नं. 1716/290 रकबा 0.1770 हेक्टर में से अपना 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:13:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

हिस्से का 3/4 अर्थात 3/16 हिस्से का बेचान रेस्पोडेन्टस सं. 1 को किया था जिसका बयनामा दिनांक 12.03.2020 को पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 12.03.2020 को पंजीबद्ध हुये बयनामें के आधार पर नामा.सं. 2224 दिनांक 15.03.2022 को स्वीकृत किया गया जिसमें अपीलांटस के खाते दर्ज अन्य ख.नं. 1715/136 रकबा 0.6829 हेक्टर भूमि में अपना हिस्सा बेचान नहीं करने के बावजूद उसका भी नामान्तरण रेस्पोडेन्टस सं. 1 के पक्ष में तस्दीक कर दिया जो कि गैर कानूनी है। अपीलांटस ने ख.नं. 1715/136 रकबा 0.6829 हेक्टर भूमि में अपना हिस्सा बेचान नहीं किया जिससे नामा.सं. 2224 निरस्तनीय है।

अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत बानोर का आदेश नामा.सं. 2224 दिनांक 15.03.2022 को निरस्त कर मुताबिक रजिस्ट्री दिनांक 12.03.2020 अनुसार नवीन नामा. दर्ज करने के आदेश प्रदान किया जावे। अपील के साथ ग्राम बानोर के नामा.सं. 2224 , जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 182 की नकल , बेचान पत्र दिनांक 12.03.2020 की प्रति पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टसं. 1 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब पेश कर अपील अपीलांटस स्वीकार करने का निवेदन किया।

वकील अपीलांटस की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि दिनांक 12.03.2020 में वर्णित तथ्यों अनुसार अपीलांटस द्वारा ख.नं. 1717/295 रकबा 0.2276 हेक्टर , ख.नं. 1718/288 रकबा 0.2529 हेक्टर , ख.नं. 291 रकबा 0.2909 हेक्टर भूमि में से अपना 1/4 हिस्सा एवं ख.नं. 1716/290 रकबा 0.1770 हेक्टर में से अपनें 1/4 हिस्से का 3/4 अर्थात 3/16 हिस्से का बेचान रेस्पोडेन्टस सं. 1 को किया था जिसका बयनामा दिनांक 12.03.2020 को पंजीबद्ध करवाया एवं उक्त बेचान पत्र के आधार पर नामा.सं. 2224 दर्ज किया जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल करते समय अपीलांटस के अन्य ख.नं. 1715/136 रकबा 0.6829 हेक्टर भूमि के 1/4 हिस्से का इन्द्राज भी रेस्पोडेन्टस सं. 1 के पक्ष में कर दिया जबकि अपीलांटस द्वारा ख.नं. 1715/136 के हिस्से का बेचान नहीं किया [illegible] प्रकार नामा.सं. 2224 से किये गये इन्द्राज गलत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:13:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर ग्राम बानोर की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 182 की आराजी किता 5 रकबा 1.6313 हेक्टर भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 2224 दि. 15.03.2022 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेन्टस सं. 1 के पक्ष में दिनांक 12.03.2020 को करवाये गये रजिस्टर्ड बयनामा अनुसार समुचित जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:13:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner